सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार– I आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:– 2025 / 30 दर्ज तिथिः– 10.09.2025

1. जीवण खां पुत्र श्री अलादीन जाति कायमखानी निवासी चूरू तहसील व जिला चूरू
2. ताजबानो पत्नी अलादीन खां जाति कायमखानी निवासी चूरू तहसील व जिला चूरू
3. मजीद अली पुत्र अलादीन जाति कायमखानी निवासी चूरू तहसील व जिला चूरू
4. मोहम्मद जावेद पुत्र मोहम्मद इब्राहिम खान जाति कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 03, चूरू तहसील व जिला चूरू
5. रमजान अली पुत्र अलादीन जाति कायमखानी निवासी चूरू तहसील व जिला चूरू राज.

..................प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू राज.
2. वेद प्रकाश राजोतिया पुत्र दुलीचंद राजोतिया जाति जांगिड़ निवासी चूरू तहसील व जिला चूरू राज.
3. अहसान अली पुत्र मोहम्मद युनुस खान जाति कायमखानी निवासी चूरू तहसील व जिला चूरू राज.
4. महमूद अली खान पुत्र महबूब अली खान जाति कायमखानी निवासी चूरू तहसील व जिला चूरू राज.

.... अप्रार्थीगण

1. मनोज गढवाल पुत्र मोहनलाल जाति जाट निवासी नई सड़क, चूरू तहसील व जिला चूरू राज

.... गौण अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीगणः– श्री नन्दराम राहड़
अप्रार्थीगणः–श्री शिवगौतम

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–111, 128
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:25:54 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

निर्णय तिथि:– 10.03.2026

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
चूरू

1. यहकि प्रार्थीगण मूल रूप से चूरू तहसील व जिला चूरू के निवासी हैं तथा प्रार्थीगण व गौण अप्रार्थी संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2546/2441 तादादी 0.5312 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2771/1212 तादादी 0.7082 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2773/2442 तादादी 0.4173 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2775/2544 तादादी 0.4012 हैक्टेयर कुल किता 04 कुल तादादी 2.0579 हैक्टेयर रोही मौजा चूरू तहसील व जिला चूरू में स्थित है। जिसके वर्तमान खाता संख्या 378 व पुराना खाता संख्या 753 है।
2. यहकि प्रार्थीगण व गौण अप्रार्थी संख्या 01 का उक्त भूमि पर कब्जा एवं काश्त स्वयं प्रार्थीगण का ही है तथा लगातार उक्त कृषि भूमि को काश्त करते चले आ रहे है।
3. यहकि प्रार्थीगण व गौण अप्रार्थी संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2546/2441 तादादी 0.5312 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2771/1212 तादादी 0.7082 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2773/2442 तादादी 0.4173 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2775/2544 तादादी 0.4012 हेक्टेयर कुल किता 04 कुल तादादी 2.0579 हैक्टेयर रोही मौजा चूरू के उत्तरी तरफ नेशनल हाईवे, दक्षिणी तरफ खसरा नम्बर 3290/3247 व खसरा नम्बर 3249/1210 अप्रार्थीगण संख्या 02 ता 04 की कृषि भूमि है तथा पश्चिमी तरफ भी अप्रार्थी संख्या 03 व 04 की कृषि भूमि है, जिस कारण उन्हे पक्षकार बनाया गया है।
4. यहकि प्रार्थीगण व गौण अप्रार्थी संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2546/2441 तादादी 0.5312 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2771/1212 तादादी 0.7082 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2773/2442 तादादी 0.4173 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2775/2544 तादादी 0.4012 हैक्टेयर कुल किता 04 कुल तादादी 2.0579 हैक्टेयर रोही मौजा चूरू तहसील व जिला चूरू के दक्षिणी व पश्चिमी तरफ खातेदारों अप्रार्थी संख्या 02 ता 04 ने उक्त भूमि के सीमाचिन्ह नष्ट कर दिये है, तथा सीमा को लेकर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद व तनाव रहता है। प्रार्थीगण ने तहसीलदार महोदय, चूरू को सीमाज्ञान करने हेतु आवेदन किया था, जिस पर तहसीलदार, चूरू के आदेश दिनांक 12.06.2025 क्रमांक RJ/2017/Revenue/Appliction for Sima Gyan/25680326166 के अनुसार हल्का पटवारी चूरू द्वारा दिनांक 25.07.2025 को मौक पर सीमाज्ञान करवाया गया था, हल्का पटवारी चूरू की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर जमीन कम मिली। इसलिये प्रार्थीगण के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वह अपनी भूमि को चारों सीमाओं का सीमाकन करवाकर पत्थरगढी करवा लेवे, जिसके लिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।
5. यहकि प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 02 ता 04 को कहा व कहलवाया कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि की सीमाओं को नष्ट नहीं करे तथा नापकर सीमातय करवा लेवे परन्तु वे पहले तो टालमटोल करते रहे, अन्त में दिनांक 05.09.2025 को ऐसा करने से इंकार कर दिया
6. प्रार्थना—पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजि. डाक सम्मन तलब किया गया जिस पर अप्रार्थी संख्या 01 से 03 पर विधिवत तामील के बावजूद इनकी ओर से न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं नहीं आया इसलिए इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थी संख्या 04 व गोण अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता शिवगौतम ने वकालतनामा पेश किया।
7. अप्रार्थी संख्या 04 की ओर [illegible] प्रार्थना—पत्र में अस्वीकार करते हुए कथन किया कि क्योंकि प्रार्थीगण द्वारा [illegible] सींव 40—50 साल की बनी हुई है तथा मेरेद्वारासींव में किसी [illegible] है। जो प्रार्थीगण द्वारापेश किया गया है, अपोषणीय [illegible] प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

गौण अप्रार्थी संख्या 01 कह ओर अधिवक्ता [illegible]गौतम की ओर से से जवाब प्रस्तुत किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:25:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
चूरू

गया है कि उक्त कृषि भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जे सम्बन्धित वाद–विवाद चल रहा है जो कि मुझ प्रार्थी द्वारा एक माननीय न्यायालय में एक दावा मनोज गढवाल बनाम जीवण खां आदि विचाराधीन है जो उक्त दावा में तलबी से बच रहा है, जो खाता विभाजन नहीं करवाना चाहता है और उक्त कृषि भूमि पर खातेदार काश्त कब्जा नहीं है। यह कि प्रार्थीगण हो सहखातेदारी पर पत्थरगढी सीमाज्ञान नहीं करवा सकता हैं और इसी स्तर पर प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे। जवाब पर प्रार्थीगण के हस्ताक्षर नहीं है। जवाब प्राप्त होने पर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया रिपोर्ट पटवारी के अनुसार मौके पर खसरा नम्बर 2546/2441, 2771/1212, 2773/2472, 2775/2544 का सीमा ज्ञान राजस्व नक्शा व जमाबंदी रोही चूरू के मुताबिक करवाया गया। वर्तमान जमाबंदी अनुसार उक्त खसरों किता 04 का कुल रकबा 2.0579 हैक्टेयर जो कि मौके पर कम मिला ।

8. यहां प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, अभिलेखों एवं पक्षकारों के कथनों का अवलोकन करने पर यह तथ्य निर्विवाद रूप से परिलक्षित होता है कि विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2546/2441, 2771/1212, 2773/2442, 2775/2544 कुल किता 04, कुल रकबा 2.0579 हैक्टेयर रोही मौजा चूरू तहसील व जिला चूरू में स्थित है, जो वर्तमान जमाबंदी अनुसार संयुक्त खातेदारी की भूमि है।

9. यह भी अभिलेखों से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण ने संयुक्त खातेदारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक संयुक्त खातेदार मनोज गढ़वाल को इस वाद में गौण अप्रार्थी के रूप में पक्षकार बनाया है, जिससे यह स्पष्ट है कि आवश्यक पक्षकारों को वाद में सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है तथा वाद में किसी आवश्यक पक्षकार के अभाव का प्रश्न नहीं उठता।

10. पत्रावली से यह भी परिलक्षित होता है कि तहसीलदार, चूरू के आदेशानुसार हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 25.07.2025 को मौके पर सीमाज्ञान किया गया था, जिसमें प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार राजस्व अभिलेखों में दर्ज रकबे की तुलना में मौके पर भूमि कम पाई गई। इससे यह स्पष्ट है कि भूमि की सीमाओं को लेकर पक्षकारों के मध्य विवाद की स्थिति विद्यमान है तथा सीमाचिन्हों की स्थिति स्पष्ट नहीं है।

11. अभिलेखों से यह भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 01 से 03 को विधिवत समन तामील होने के बावजूद वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, अतः उनके विरुद्ध नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

12. अप्रार्थी संख्या 04 तथा गौण अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया है, किन्तु पत्रावली के अवलोकन से यह पाया गया कि उक्त जवाब पर संबंधित पक्षकारों के हस्ताक्षर अथवा विधिवत सत्यापन अंकित नहीं हैं। न्यायिक कार्यवाही में प्रस्तुत किसी भी लिखित उत्तर का संबंधित पक्षकार द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित होना आवश्यक होता है, जिससे उसके कथनों की प्रामाणिकता सुनिश्चित हो सके। ऐसी स्थिति में बिना हस्ताक्षर एवं सत्यापन के प्रस्तुत जवाब विधिक दृष्टि से अपूर्ण एवं अविश्वसनीय है, अतः उसे विधिवत उत्तर के रूप में स्वीकार करना संभव नहीं है।

13. अप्रार्थी पक्ष द्वारा यह आपत्ति भी प्रस्तुत की गई है कि भूमि संयुक्त खातेदारी की होने के कारण सीमाज्ञान एवं प[illegible] जा सकती। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान भू–राजस्व [illegible] 1956 की धारा 111 एवं धारा 128 के अंतर्गत राजस्व अधिकारि[illegible] मि की सीमाओं का निर्धारण कराने एवं सीमाचिन्ह स्थापित [illegible] है। यह विधि सिद्धांत स्थापित है कि संयुक्त खातेदारी की भूमि में भी राजस्व अभि[illegible] के अनुरूप बाह्य सीमाओं का निर्धारण एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:25:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
चूरू

सीमाचिन्ह स्थापित कराए जा सकते हैं, क्योंकि ऐसी कार्यवाही से खातेदारों के पारस्परिक हिस्सों का निर्धारण या विभाजन नहीं किया जाता, बल्कि केवल राजस्व अभिलेखों के अनुरूप भूमि की सीमा को स्पष्ट किया जाता है, जिससे भविष्य में विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। अतः समस्त तथ्यों, अभिलेखों, हल्का पटवारी की रिपोर्ट तथा विधिक प्रावधानों के सम्यक् विचार के पश्चात प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश है कि

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि तहसीलदार चूरू कृषि भूमि खसरा नम्बर 2546/2441, 2771/1212, 2773/2442, 2775/2544, कुल किता 04, कुल रकबा 2.0579 हैक्टेयर, रोही मौजा चूरू तहसील व जिला चूरू की नपती एवं सीमा ज्ञान हेतु प्रार्थी से नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाया जाकर सम्बन्धित पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर मौके पर पुख्ता केन्द्र बिन्दु कायम करते हुए सीमा के समीप सभी खातेदारों की उपस्थिति में विधिवत सीमा ज्ञान एवं पत्थरगढ़ी करावें। संबंधित पक्षकारों/हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश तहसीलदार चूरू को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार चूरू को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 10.03.2026 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:25:54 IST
Reason: SelfAttested